यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 05/2024
दायर दिनांक : 08.02.2024
निर्णय दिनांक : 20.02.2024

उनवान

मुन्नादेवी पत्नी विष्णुशंकर मीणा
निवासी मीणापाडा, भूपालसागर
(प्रार्थी)

वनाम

तहसीलदार, भूपालसागर
(अप्रार्थी)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित : श्री कन्हैयालाल माली (वकील प्रार्थी)
पैरोकार सरकार (वकील अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक : 20.02.2024

:: निर्णय ::

प्रार्थिया श्रीमती मुन्नादेवी पत्नी विष्णुशंकर मीणा निवासी मीणापाडा भूपालसागर की ओर से वकील श्री कन्हैयालाल माली द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 136, 131** प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में निम्नानुसार हैं :

ग्राम भूपालसागर पटवार हल्का भूपालसागर में प्रार्थिया के नाम पर खातेदारी कृषि आराजियात आ. सं. 2859/1073 रकबा 0.17 है. किता 1 रकबा 0.17 है. है। वजह सबूत हाल जमाबंदी की प्रमाणित नकल, हाल कम्प्यूटर नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के संलग्न है। उक्त वर्णित आराजी के कम्प्यूटर नक्शे को राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि से हाल नक्शे अनुसार कायम न कर कम्प्यूटर ऑनलाईन नक्शा में त्रुटि करते हुऐ आ. सं. 1075 जो चाह नं. कुऐं का नंबर है, में मिलाकर 1075 का रकबा बढा दिया व प्रार्थिया की खातेदारी आ. सं. 2859/1073 की आराजियात के बीच में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर लाईन खींचकर मुझ प्रार्थिया की आराजियात के नक्शे को कम कर दिया है, जो गलत है। जिसे राजस्व रिकार्ड के हाल नक्शे को दुरूस्त किया जाकर प्रार्थिया के आ.सं. 2859/1073 को आ.सं. 2587/1073 के पीछे पूर्व दिशा की ओर आ.सं. 2777/1073 की उत्तरी दिशा की सीमा रेखा तक लाईन खींचकर दुरूस्त किया जाना आवश्यक है तथा कम्प्यूटर नक्शे में सुधार कर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित है। वजह सबूत पटवारी द्वारा जारी हाल नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। उक्त त्रुटि का नाजायज फायदा उठाकर दिगर खातेदारान प्रार्थिया के साथ आये दिन लडाई झगडा करते हैं तथा कम्प्यूटर की त्रुटि वाला नक्शा दिखाकर प्रार्थिया को कब्जे से बेदखल करना चाहते हैं। दिनांक 03.02.2024 को हाल जमाबंदी की प्रमाणित नकल व कम्प्यूटर नक्शा प्राप्त करने से त्रुटि की जानकारी हुई व दिनांक 05.02.2024 को पटवार हल्का भूपालसागर से हाल नक्शे की प्रमाणित नकल प्राप्त करने से त्रुटि की जानकारी हुई, इस कारण प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 05.02.2024 से पैदा होकर निरन्तर जारी है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात आ.सं. 2859/1073 रकबा 0.17 है. किता 1 रकबा 0.17 है. को राजस्व रिकार्ड के हाल नक्शे अनुसार कम्प्यूटर ऑनलाईन नक्शे को दुरूस्त कर अमल दरामद किये जाने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2024.04.03 16:24:05 IST
Reason: SelfAttested

उक्त पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को सम्मन जारी किया गया, बाद सम्मन तामिल अप्रार्थी विपक्षी पैरोकार सरकार तहसीलदार, भूपालसागर ने प्रस्तुत जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थिया मुन्नादेवी पत्नी विष्णुशंकर निवासी मीणापाडा तहसील भूपालसागर ने निवेदन किया है कि आ.सं. 2859/1073 रकबा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

है. तथा आ.सं. 1075 रकबा 0.01 है. को गलत दर्शाया गया है, जिसकी प्रार्थिया नक्शे में शुद्धि चाहती सेग्रीगेशन के दौरान आ.सं. 1073 के अन्दर नक्शे में कुछ भूमि को डोट- डोट से दर्शाया गया था उसे रेखा लाईन कर दी गई और उसमें 1075 आ.नं. डाल दिये गये जबकि 1075 नं. रकबा 0.01 है. डोरी के नंबर थे। वर्तमान में नक्शें में 1075 का रकबा करीबन 0.15 है. बनता है, जो गलत दर्ज है साथ ही आ.सं. 2777 / 1073 की तरमीम भी सही नहीं हुई। अतः वर्तमान ऑनलाईन नक्शा के आराजी नंबर 1075, 2777 / 1073, 2859 / 1073, 2587 / 1073 को पटवारी नक्शा अनुसार शुद्ध किया जाना उचित रहेगा।

हमने पत्रावली, उपलब्ध रिकार्ड, हाल- साबिक जमाबंदी व पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। परिणामतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उपलब्ध रिकार्ड, वकील प्रार्थी की बहस एवं पैरोकार सरकार के जवाब अनुसार हल्के बेरूनी **ग्राम भूपालसागर तहसील भूपालसागर की आ.सं. 1075, आ.सं. 2777 / 1073, आ.सं. 2859 / 1073 एवं आ.सं. 2587 / 1073 की तरमीम को ऑनलाईन किया जाने के पूर्व की स्थिति को बहाल कर हाल नक्शे को संशोधित कर पूर्व नक्शे अनुसार संशोधित किया** जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, भूपालसागर राजस्व रिकार्ड में संशोधन की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2024 को सरे इजलास सुनाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(पुनीत कुमार गेलडा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर,
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2024.04.03 15:24:05 IST
Reason: SelfAttested